थाना-अहरौला

थानाक्षेत्र अहरौला में कुएं से बरामद सिर कटी शव की शिनाख्त, हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना-

➡दिनांक-15.11.2022 को सुचना मिली की पश्चिम पट्टी गौरी का पुरा रोड के किनारे कुए मे एक युवती की लाश क्षत विक्षत पडी है जिसकी सूचना ग्राम प्रहरी राम नयन पुत्र बाउर ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहरौला के आधार पर मु0अ0सं0 393/22 धारा 302,201 भादवि0 पंजीकृत किया गया। शव को कुए से निकाल कर थाना अहरौला पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। शव से सिर गायब था व हाथ पैर अलग – अलग थे। अपराध को गम्भीरता से लेते हुए अनावरण हेतु 05 टीमो का गठन कर जिम्मेदारी तय की गयी।जिसकी प्रतिदिन समीक्षा पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी।

गठित टीमो का विवरण

प्रथम टीम – अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को आस पास के जनपदो मे इस उपरोक्त हुलिया से सम्बन्धित गुमशुदा/अपहृत युवतियों की जानकारी करने के लिये 10 उप निरीक्षक अलग अलग जनपदो मे रवाना किये गये।

द्वितीय टीम – क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व मे जनपद के भीतर सभी गुमशुदा महिलाओ व युवतियो की छानबीन हेतु

तृतीय टीम – थाना प्रभारी अहरौला थाना, प्रभारी फूलपुर व स्वाट टीम प्रथम को घटनास्थल के 20 कि0मी0 के दायरे मे समस्त गांवो के अपहृत/गुमशुदा युवतियो व महिलाओ के सम्बन्ध मे जानकारी हेतु

चतुर्थ टीम – जनपदीय स्वाट टीम द्वितीय व सर्विलांस टीम को मोबाईल नं0 व सीडीआर की छानबीन व अनावरण हेतु

पंचम टीम – क्षेत्राधिकारी बुढनपुर को सीमावर्ती थाना प्रभारीयो को गोपनिय तरिके से जानकारी व सुचना एकत्र करने हेतु

घटना का अनावरण - विवेचना के दौरान सुचना प्राप्त हुई कि केदार प्रजापति पुत्र स्व0 चिखुरी प्रजापति की 22 वर्षिय विवाहिता लडकी दिनांक 10.11.2022 से गायब है जिसका हुलिया बरामद अज्ञात शव से मेल खाता है। इस सुचना को गम्भीरता से लेते हुए। थाना प्रभारी अहरौला व स्वाट/सर्विलांस टीम को मौके पर जाकर फोटो आदि पहचानने व जानकारी हासिल करने हेतु निर्देशित किया गया। केदार प्रजापति व उनके घर वाले शव के शरीर पर पडे शव के हाथ मे रक्षा व काला धागा, कंगन, नेलपालिश देखकर आंशिक रुप से पहचान किये परन्तु चेहरा न होने के कारण आश्वस्त नही हुए मोबाइल नं0 के सीडीआर विश्लेषण के बाद पुलिस टीम को शक हुआ कि यह डेड बाडी उपरोक्त युवती के होने की प्रबल सम्भावना है।इसी क्रम मे गायब लडकी के प्रेमी की तलाश की गयी तो उसका मो0 नं0 बन्द था। दिनांक 19.11.2022 को समय 20.00 बजे थाना प्रभारी अहरौला ,सर्विलांस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त प्रिस यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी कठही थाना अहरौला को गजही पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

➡गिरफ्तार अभियुक्त प्रिंस यादव से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि गांव इसहाकपुर के केदार प्रजापति की लड़की आराधना से करीब दो साल से प्रिंस यादव का प्रेम संबंध था। प्रिस यादव का मृतका के घर पर आना जाना शुरु हो गया आराधना नें शादी का वादा किया था इस बात को दोनों के घर वाले जानते थे इसी बीच फरवरी 2022 मे आराधना की शादी किसी अन्य व्यक्ती से सम्पन्न हो गयी।आराधना की शादी के समय प्रिंस यादव शारजांह मे मेकैनिक की नौकरी कर रहा था। शादी की जानकारी होने पर प्रिंस यादव वापस अपने घर आ गया। अभियुक्त के माता पिता नें कहा कि आराधना से जाकर बात कर लो अगर वह साथ में रहनें को मान जाती है तो ठीक है नहीं तो उसे रास्ते से ही हटा दो नही तो जिन्दगी भर हमे और तुम्हे परेशान करेगी। आराधना से बात करने पर उसने इनकार कर दिया इस बात को प्रिंस यादव ने अपनें माता पिता से बताया तब माता पिता नें कहा कि उसे किसी तरह से अपनें रास्ते से हटा दो।

➡ इस पर योजना के तहत पास पडोस वालों को जयपुर जाने की बात बताकर प्रिंस यादव दिनांक 29.10.2022 को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आया और दो दिन वहाँ रुका रहा ताकी गाँव के लोगो को यह यकिन हो जाये कि प्रिंस जयपुर चला गया है। फिर वहाँ से अपनें मामा रामा यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज के घर आया और अपनें मामा के लड़के सर्वेश यादव व बहू सुमन पत्नी बृजेश यादव से उपरोक्त बात बताई तो सर्वेश यादव व सुमन नें भी आराधना को रास्ते से हटानें की बात कही। पुछताछ मे प्रिंस ने बताया कि सुमन से भी प्रिंस के शारीरिक सम्बन्ध काफी समय से थे जिस कारण सुमन भी मृतका से इर्श्या रखने लगी थी और मृतका को मारने के लिये प्रिंस का साथ देने को तैयार थी। प्रिंस यादव ने वहीं पर अपनें माता पिता को भी बुलवा लिया और सबने मिलकर हत्या की योजना बनाई।

➡ योजना के तहत अभियुक्त प्रिंस यादव व उसके मामा का लड़का सर्वेश नारियल काटनें वाला बाँका तथा एक पालीथीन मोटरसाईकिल की डिग्गी में रख लिया। घटना मे जिस मोटर साइकिल का प्रयोग किया गया है। वह सुमन के पिता ने शादी मे सर्वेश के परिवार को दी थी।

➡ दिनांक 10.11.2022 को प्रिंस यादव व सर्वेश यादव ने मोटरसाईकिल से इसहाकपुर पुलिया पर पहुचकर मोबाईल से बात करके आराधना को गाँव से बाहर बुलाया और दोनो लोग भैरोनाथ मंदिर घूमनें के बहानें आराधना को लेकर निजामपुर एक रेस्टोरेण्ट में ले गये और वहाँ खाना पीना खाया।

➡योजना के अनुसार आराधना को सर्वेश के घर घूमने कि लिए मनाकर ले जाते समय ग्राम जजऊपुर के पास एक गन्ने के खेत के पास मोटरसाईकिल रोककर अभियुक्त प्रिंस यादव तथा सर्वेश ने आराधना को खींचकर गन्ने के खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दिया एक लकड़ी का ठीहा लेकर उस पर आराधना का दोनों हाँथ तथा दोनो पैर व गर्दन नारियल काटनें वाले बाँका से काट दिया तथा सिर व लकड़ी के ठीहा को वहीँ बगल में तालाब में फेंक दिया धड़-पैर व हाँथ को पालीथीन में भरकर व पैंण्ट, बाँका को मोटरसाईकिल की डिग्गी में रखकर धड पैर व हाँथ को ग्राम पश्चिमपट्टी के बाहर पक्की सड़क के पास एक कुएं में डाल दिया था

➡ हत्या में प्रयुक्त बाँका व जींस पैण्ट कुँये के पास ही गन्नें के खेत में फेंक दिया था तथा अपनें कपड़े जिसमें खून लगा था उसे जलाकर नहर में फेंक दिया था

➡ घटना के बाद अभियुक्त और सर्वेश घर गये जहा अपनें मामा रामा यादव तथा मामी शीला यादव से घटना के बारे में बताया तो मामा व मामी नें दोनों को दो दिन तक अपनें घर में छिपाये रखा फिर दोनों वहाँ से ग्राम तोंवाँ मामी कमलावती पत्नी संतराज के घर गये और उनसे भी घटना के बारे में बताया और वहाँ से दोंनों भागकर अपनें घर कठहीं आये और सारी बात माता पिता व बहन मन्जू यादव से भी बताया और रात भर छिपे रहे। एक दिन अपनें घर में रहेने बाद सर्वेश प्रिंस के घर से चला गया।

➡ अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल तालाब से मृतका का कटा हुआ सिर व एक लकडी का बोटा, गन्नें के खेत के पास एक मास्क बरामद करने के दौरान अभियुक्त द्वारा पूर्व में फेके गये 315 बोर के तमन्चे को उठाकर पुलिस टीम पर अन्धाधुंध फायर किया गया जवाबी

कार्यवाही मे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी जिससे अभियुक्त प्रिंस यादव घायल हो गया जिसको समय करीब 14:32 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। चिकित्सकीय उपचार हेतु सदर अस्पताल भेजा गया।

घटना का उद्देश्य

प्रिंस यादव शारजांह मे पानी की जहाज पर मशीन मरम्मत व काटने के कार्यो का जानकर था ।मृतका से अभियुक्त का काफी पुराना सम्बन्ध था ।अराधना के शादी का वादा करके दुसरे व्यक्ति से शादी कर लेने से नाराज था शादी के बाद भी मृतका पर साथ रहने के लिये लगातार दबाव बना रहा था मृतका के मना करने पर योजनाबद्ध तरीके से निर्मम हत्या करके शव की शिनाख्त न होने पाये इसके लिये मृतका के शव को कई टुकडो मे काटकर में फेक दिया।

प्रकाश में आये अभियुक्त-

1. सर्वेश यादव पुत्र रामा यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ (प्रिंस के मामा का लडका)
2. प्रमिला यादव पत्नी राजाराम निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, (प्रिंस की मां)
3. सुमन पत्नी बृजेश यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ (प्रिंस के मामा के लडके बृजेश की पत्नी)
4. राजाराम पुत्र स्व0 जंगबहादुर निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, (प्रिंस का पिता)
5. रामा यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, (प्रिंस का मामा)
6. कमलावती पत्नी संतराज यादव साकिन असरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ (प्रिंस की मामी)
7. मन्जू यादव पुत्री राजाराम निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ (प्रिंस की बहन)
8.शीला यादव पत्नी रामा यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ (प्रिंस की मामी)

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 393/2022 धारा 302/201/120बी/216 भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रिंस यादव पुत्र राजाराम यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक लकडी का बोटा,

गन्नें के खेत के पास एक मास्क

01 अदद कट्टा 315 बोर

04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह, कां0 शिवसरन, कां0 मुकेश कुमार गुप्ता

2.स्वाट टीम प्रथम-प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला, कां0 प्रदीप कुमार पाण्डेय, कां0 हरीश वासे खा, कां0 अवनीश सिंह

3. प्रभारी सर्विलांस/स्वाट टीम द्वितीय- उ0नि0 श्री विनय कुमार दुबे,

सर्विलांस - हे0का0 चन्द्रमा मिश्रा,का0 यशवन्त सिंह , का0 उमेश यादव ,का0 आलोक सिंह , का0 इन्द्रेश वरुण, ओपी0 दिनेश कुमार यादव

स्वाट टीम- कां0 पवन यादव, कां0 अभिभीत तिवारी, कां0 सुनील प्रजापति

घटना के अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25000/- रु0 से पुरस्कृत किया गया

थाना अहरौला के आरक्षी चालक राजेश वर्मा को उच्च कोटी के सुरागरसी/पतारसी के लिये 5000/- रु0 से पुरस्कृत किया गया तथा सर्विलांस टीम को 5000/- रु से पुरस्कृत किया गया।